62

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

रीवा सर्किट कोर्ट रीवाम०प्र०

161
5.4.13

निगरानी प्रकरण क्र० /2013

R-1719-III/13

श्री सत्यनारायण वर्मा तनय बीरभान वर्मा उम्री 40 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम पलिया 350 तह० मनगवां, जिलारीवाम०प्र०

------ आवेदक

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर

बनाम

श्रीरामप्रसाद वर्मा तनय भारतप्रसाद वर्माउम्री58 वर्ष, सा०पलिया 350 तह० मनगवां,जिलारीवा म० प्र०------ अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार मनगवां जिलारीवादिनांक 12-3-13 बाबत प्रकरण क्र० 31अ12/2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन1959ई०

प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य

ग्राम पलिया तह० मनगवां रीवा की भूमि नं0 3/1क, 4/4, 6/3, 8/4, 9/4 जो आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, कैतमीम व सीमांकन का मामला आवेदक ने तहसीलदार मनगवा में दायर किया जिसका विधिवतजांच कर तमीम प्रस्ताव तारीख 9-7-10 को दिया गया और तमीम व सीमांकनकी प्राथी को विलंबित करने के उद्देश्य

-2

सत्यनारायण वर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 1719–तीन/2012 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/7/18	उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 31 अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12–3–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ उभ्य पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार, तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 31 अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12–3–13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है क्योंकि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 7० के अंतर्गत नक्शा तरमीम कार्यवाही पर पारित किया है, जिसके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरुद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सबसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे।	

आवेदक को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य